प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश का कार्यालय
ऑडिट भवन झाँसी रोड ग्वालियर-474002

दिनांकः- 09/05/2025

कार्यालय आदेश / Office Order - 25

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 170-स्टाफ (जे.सी.एम.)/17-2025 दिनांक 05-05-2025 (संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 20-05-2025 को 'कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज & वर्कर्स नई दिल्ली' ने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा दिनांक 20-05-2025 को आहवान की गयी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है, जिसे ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन की सहमति है|

इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 तथा उसके अंतर्गत उल्लिखित भारत सरकार के निर्णय क्र. I से II के अनुसार कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त हड़ताल से संबंधित किसी भी गतिविधि/क्रियाकलाप से स्वयं को दूर रखें । यदि कार्यालय का कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त अवधि में किसी कारणवश कार्य से अनुपस्थित रहकर उक्त हड़ताल से संबंधित किसी भी गतिविधि/क्रियाकलाप में भाग लेता है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिये मूलभूत नियम 17 तथा 17 (ए) के अर्न्तगत कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही उनके विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी शाखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम के दौरान वे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को नियमित अवकाश की स्वीकृति अपने स्तर पर प्रदान न करें एवं दिनांक 20-05-2025 की अनुभाग/समूह की उपस्थिति (पूर्वाहन एवं अपराहन) मुख्यालय के संलग्न पत्र में दिए गए प्रारूप में प्रशासन-11 अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

Headquarters office vide letter no. 170-स्टाफ (जे.सी.एम.)/17 -2025 दिनांक 05-05-2025 (Enclosed) has informed that the Confederation of Central Government Employees & Workers, New Delhi has endorsed the decision of the Central Trade unions and decided to participate in the Nationwide strike on 20th May, 2025. All India Audit & Accounts Association, which is an affiliate of Confederation of Central Govt. Employees and Workers has endorsed the decision of Confederation of Central Government Employees & Workers to participate in the aforesaid one day strike.

As per Rule 7 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Government of India's Decisions I to II thereunder, all officers/officials of this office are directed to abstain themselves from any event/activity related with the aforesaid strike. If any officer/official of this office is found absent from his/her duty by any reason during the said period for participating in any event/activity related with the aforesaid strike then action will be taken against such officer/official for unauthorized absence under Fundamental Rules 17 & 17(A) and disciplinary action may be initiated agalast them under Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. All Branch Officers/Assistant Audit Officers are directed not to sanction regular leave to any officer/official, at their level, during the said programme and ensure to send the attendance of 20-05-2025 (Forenoon and Afternoon) of their Group/Section to Admin-XI Section in the format prescribed in the attached Headquarter office letter.

संलग्न : यथोक्त

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

Admn-11/G-5/Agitation,Strikes/F-44B/ दिनांक:: 09/05/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि सभी समूह/शाखा अधिकारी अपने समूह/शाखा की दिनांक 20-05-2025 की उपस्थिति (पूर्वाहन एवं अपराह्न) मुख्यालय के संलग्न पत्र में दिए गए प्रारूप में इस अनुभाग को दिनांक 22.05.2025 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र. ग्वालियर ।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, ए.एम.जी-1, ए.एम.जी-2 ए.एम.जी-3 ए.एम.जी-4, ए.एम.जी-5 |
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम का कार्यालय, म. प्र, लेखाभवन, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत प्रेषित ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12, 13, 14, फास (एम), हिंदी कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, आई.एस विंग, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, ए.एम.जी-1, ए.एम.जी-2, ए.एम.जी-3, ए.एम.जी-4, ए.एम.जी-5, आई.टी.ए., रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट-पी.ए.सी, एपीडीएसी, एस एम यू।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस विंग को कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
6. महामंत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर।
7. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
8. महामंत्री / ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
9. श्री नरेश आहूजा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14 इन्टरनेट एवं इंट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।

हार्ड कॉपी के माध्यम से

1. सूचना पटल
2. गार्ड फाइल

09.05.25

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन-11